

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 101

शुक्रवार, 4 मार्च, 2016/14 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही श्री सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि दिनांक 01.03.2016 को मैट्रोपोल, विधायक सदन के ऊपर सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था न होने तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र पर माननीय विधायकों के वाहनों को ले जाने की अनुमति न देने से पैदा हुई स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई थी। माननीय मुख्य मन्त्री के पार्किंग के लिए यलो-लाईन लगवा देने के आश्वासन के बावजूद परसों रात वहां पर कहा गया कि सड़क से वाहन हटाओ वरन् Contempt का मामला दर्ज हो जाएगा। इस पैदा हुई स्थिति से माननीय विधायकों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हम इस बारे सरकार के दृष्टिकोण से अवगत होना चाहते हैं।

इस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने तुरन्त आश्वासन दिया और कहा कि सरकार पहले ही इस मामले की गम्भीरता से भली-भांति परिचित है तथा इसको हल करने के लिए Act में तबदीली करना आवश्यक है जो शीघ्र ही की जाएगी।

11.10 AM

1. प्रश्नोत्तरः:

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 2737 से 2744 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2745 से 2759 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 से 1199 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00 PM

2. कागजात सभा पटल परः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

1. श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015 -16) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **122वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल) पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **123वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

1. **श्री अनिरुद्ध सिंह** ने निम्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :

"दिनांक 28 फरवरी, 2016 को शिमला के भट्टाकुफर स्थित गौ-सदन में बैल की हुई निर्मम हत्या" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

2. **श्री सुरेश भारद्वाज** ने निम्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :

"शिमला के इन्दिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से वरिष्ठ प्राध्यापकों व चिकित्सकों के स्थानान्तरण से मरीज़ों को हो रही भारी असुविधा" से उत्पन्न स्थिति।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

12-25 PM

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण:

माननीय मुख्य मन्त्री ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया।

(अपराह्न 1.25 बजे विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया)

माननीय मुख्य मन्त्री ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉक आउट की निंदा की।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए:-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार।

(अपराह्न 2.10 बजे सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)